कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: परिपत्र ::

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के मानदण्ड निर्धारण हेतु शासन के आदेश क्रमांकः प.22(6) शिक्षा–1/2002, जयपुर, दिनांकः 30.04.15 के क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 20.08.16 द्वारा विद्यालयों के समय विभाग चक्र के निर्माण में शासकीय निर्देशों के अनुरूप समुचित कालांश भार निर्धारण बाबत् निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं । विद्यालय परिवीक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि विद्यालयों द्वारा समय विभाग चक्र निर्मित किए जाते समय उक्त निर्देशों की पालना नही की जा रही हैं । अतएव पूर्व प्रदत्त निर्देश पत्र दिनांक : 20.08.16 के अनुवर्तन में निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए :–

1. विषय व्याख्याताओं को समय विभाग चक्र में प्रत्येक सप्ताह में कक्षा – 9 से 12 तक कुल 33 कालांश आवंटित किए जाएं ।
2. वरिष्ठ अध्यापकों को समय विभाग चक्र में प्रत्येक सप्ताह में कक्षा – 6 से 10 तक कुल 36 कालांश आवंटित किए जाएं ।
3. अध्यापक लेवल–2 को समय विभाग चक्र में प्रत्येक सप्ताह में कक्षा – 1 से 8 तक कुल 42 कालांश आवंटित किए जाएं ।
4. अध्यापक लेवल–1 को समय विभाग चक्र में प्रत्येक सप्ताह में कक्षा – 1 से 5 तक कुल 42 कालांश आवंटित किए जाएं ।
5. व्याख्याता के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 11 एवं 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
6. व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के अध्यापक लेवल–2 द्वारा कक्षा 9 से 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।

समस्त संबंधितों द्वारा क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त निर्देशों की पालना एवं क्रियान्विति सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाई जानी सुनिश्चित की जाए । भविष्य में उपर्युक्त निर्देशों की पालना में कोताही बरती जाने की स्थिति सामने आने पर सम्बन्धित संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

(बी0एल0स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/निप्र/डी–I/104/II/नवाचार/ 2016–17/198 दिनांकः 02.12.16

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
3. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु ।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (I/II) को क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु ।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु ।
6. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा" , कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय का पता :– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर ☎0151–254043
Email : ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in Fax No.- 0151-2201861

F:\Subhash Ji\parpatra navachar.docx